रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 17, 2002/आषाढ़ 26, 1924
No. 145] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 17, 2002/ASADHA 26, 1924

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2002

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) विनियम, 2002

एचआरडीडी सं. 1995(2)/स्टाफ-जनरल(2).—चूंकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के कर्मचारियों को उपदान के संदाय तथा उपदान-निधि की स्थापना को नियंत्रित करने वाले विनियम बनाना आवश्यक है, अत: बोर्ड, एतद्द्वारा, निम्नांकित विनियम बनाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (कर्मचारियों को उपदान का संदाय) विनियम, 2002 कहा जाएगा।

व्याख्या का अधिकार

2. इन विनियमों की व्याख्या का अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक में निहित है (इस अभिव्यक्ति में पूर्णकालिक निदेशक या कार्यपालक निदेशक शामिल होगा) और यदि कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नहीं है, तो उक्त अभिव्यक्ति का अर्थ पूर्णकालिक निदेशक होगा तथा इसमें कार्यपालक निदेशक भी सम्मिलित होगा, जो इन विनियमों को लागू करने के लिए यथावश्यक प्रशासनिक अनुदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

परिभाषाएं

3. इन विनियमों में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो --

(1) 'अधिनियम' से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) अभिप्रेत है;

(2) 'सेवा-निवृत्ति की तारीख' से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(क) ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो अपनी सेवा के निबंधन व शर्तों के अनुरूप, सेवा-निवृत्त होता है या किया गया हो, वह तारीख जिस दिन वह इस तरह सेवा-निवृत्त होता है या किया गया है;

(ख) किसी अन्य कर्मचारी के मामले में, वह तारीख, जिस तारीख से उसकी लघु उद्योग बैंक की सेवा समाप्त हो गयी है; तथा 'सेवा-निवृत्ति का महीना' अभिव्यक्ति का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(3) 'निधि' से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान निधि अभिप्रेत है, जो विनियम 10 में उल्लिखित है;

(4) 'वेतन' से निम्नलिखित अभिप्रेत है --

वह वेतन जो कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति की तारीख को उसके धारित ग्रेड में स्वीकार्य है, तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है --

i) मूलपद वेतन
ii) स्थानापन्न वेतन
iii) विशेष वेतन
iv) वैयक्तिक वेतन
v) विशेष वैयक्तिक वेतन तथा
vi) बोर्ड द्वारा 'वेतन' के रूप में वर्गीकृत कोई अन्य परिलब्धियां;

(5) 'महंगाई भत्ते' से भत्ता अभिप्रेत है।

(6) 'लघु उद्योग बैंक की सेवा' में --

(क) कर्मचारी के स्थायी होने के तत्काल पूर्व की अनवरत अस्थायी सेवा की अवधि शामिल होगी;

(ख) कर्मचारी की रिजर्व बैंक और / या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में नियत दिन से तत्काल पूर्व अथवा, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (2) के अनुसार, लघु उद्योग बैंक में उसकी नियुक्ति पर तैनाती, चयन, पदोन्नति या स्थानान्तरण के पूर्व की सेवा-अवधि शामिल होगी;

(ग) वह अवधि शामिल होगी, जिसके दौरान कर्मचारी ड्यूटी पर है अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत अवकाश पर है;

(घ) वह अवधि शामिल नहीं होगी, जिसमें कर्मचारी बिना अनुमति प्राप्त किए ड्यूटी से अनुपस्थित रहा है अथवा अपनी छुट्टी बढ़ा लेता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो;

(7) 'मूलपद वेतन' से वह वेतन अभिप्रेत है, जिसके लिए कर्मचारी अपने मूल रूप से धारित पद के लिए लागू वेतनमान में अधिकृत है;

(8) 'वर्ष' से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

(9) वे शब्द या अभिव्यक्तियां, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गयी हैं, तथा अधिनियम में प्रयुक्त हुई हैं, उनके अर्थ वही होंगे, जो अधिनियम के प्रयोजनार्थ उन्हें क्रमश: अभ्यर्पित किए गए हैं।

मंजूरी की शर्तें

4. उत्तरवर्ती विनियमों में निहित निबंधनों, शर्तों व अन्य उपबंधों के अधीन, लघु उद्योग बैंक के स्थायी कर्मचारी को सेवा-समाप्ति के पश्चात् अथवा उपदान की प्राप्ति के पूर्व उसकी मृत्यु की दशा में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिसका या जिनका निर्धारण विनियम 8 के अनुसार होगा, उपदान मंजूर किया जाएगा;

परन्तु इन विनियमों से ऐसा कुछ अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे किसी ऐसे कर्मचारी को कोई अधिकार या लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसकी लघु उद्योग बैंक में सेवा संविदा से शासित है, जिसमें उसकी सेवा की निश्चित अवधि स्पष्टत: विनिर्दिष्ट हो।

कब स्वीकार्य न होगा

5 (1) ऐसे कर्मचारी को, अथवा ऐसे कर्मचारी के मामले में उपदान की मंजूरी नहीं दी जाएगी, जिसने लघु उद्योग बैंक में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी न की हो;

(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे कर्मचारी को, अथवा किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में उपदान मंजूर किया जाएगा, जिसने लघु उद्योग बैंक में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, यदि --

i) लघु उद्योग बैंक की सेवा में रहते उसकी मृत्यु हो जाती है; या

ii) वह सेवानिवृत्त हो गया है अथवा शारीरिक या मानसिक अशक्तता प्रमाणित स्थायी अक्षमता अथवा स्थापना में कटौती के कारण उसकी नियुक्ति समाप्त किए जाने के कारण उसे सेवानिवृत्त करना पड़ा है; या

iii) लघु उद्योग बैंक द्वारा उसकी सेवा, स्थापना में कटौती के उद्देश्य से भिन्न किसी अन्य कारण से समाप्त कर दी गयी है।

स्वीकार्य राशि

6 (1) विनियम 5 के उपबन्धों की किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर्मचारी को स्वीकार्य उपदान राशि निम्नानुसार होगी ---

(क) लघु उद्योग बैंक की सेवा में पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर की राशि (अथवा 6 महीने से अधिक के लिए उसका हिस्सा) सेवा के प्रथम चौबीस वर्षों हेतु, परन्तु अधिकतम बीस महीने का चेतन और महंगाई भत्ता या 3,15,000 रुपए या दोनों में से जो भी कम हो;

(ख) लघु उद्योग बैंक में 24 वर्ष से अधिक की सेवा होने पर प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए आधे महीने के वेतन तथा महंगाई भत्ते के बराबर अतिरिक्त राशि (अथवा 6 महीने से अधिक की सेवा के लिए उसका एक हिस्सा);

(2) उप-विनियम 6 (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी के मामले में, उसके द्वारा आहरित वेतन को ध्यान में लिए बिना, स्वीकार्य उपदान की राशि का निर्धारण, उसके लघु उद्योग बैंक की सेवा में पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष अथवा 6 माह से अधिक होने पर उसके हिस्से के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से किया जाएगा, परन्तु वह अधिकतम 3,50,000 रुपए और साथ ही, यदि इस उप-विनियम के अन्तर्गत अदायगी कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायी है, तो वह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की अन्य शर्तों के अधीन होगा।

व्याख्या

इस उप-विनियम के लिए 'वेतन' का अभिप्राय केवल वेतन तथा महंगाई भत्ता होगा।

कतिपय मामलों में कम की गयी राशि का संदाय

7 (1) लघु उद्योग बैंक, कर्मचारी को देय उपदान की राशि का निर्धारण करते समय उस कर्मचारी की अक्षमता अथवा कदाचार के कारण लघु उद्योग बैंक को पहुंची आर्थिक क्षति को ध्यान में ले सकता है तथा उपदान की घटी राशि मंजूर कर सकता है;

परन्तु पूर्वगामी विनियमों के अन्तर्गत, सामान्यतया स्वीकार्य उपदान राशि तथा इस प्रकार कम की गयी उपदान राशि के अन्तर की राशि, लघु उद्योग बैंक को हुई आर्थिक क्षति की राशि से अधिक नहीं होगी;

(2) जब तक कि मंजूरीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट तौर पर अन्यथा अनुमति न दी गयी हो, जहाँ कर्मचारी को लघु उद्योग बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा आवास आवंटित किया गया है या उपलब्ध कराया गया है, उस कर्मचारी को, अथवा उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा कर रहे किसी व्यक्ति को तब तक उपदान की अदायगी नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसा कर्मचारी अथवा उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा कर रहा व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, आवास आवंटित किए जाने या उपलब्ध कराए जाने के निबंधनों व शर्तों के पूर्ण रूप से पालन किए जाने के पश्चात्, उस आवास का खाली कब्जा लघु उद्योग बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को, जैसा भी मामला हो, सुपुर्द नहीं कर देता;

(3) कर्मचारी या कर्मचारी के मामले में, लघु उद्योग बैंक द्वारा उसे आवंटित या उपलब्ध कराई गई आवासीय सुविधा के सम्बन्ध में कोई राशि प्राप्य या वसूलीयोग्य हो, चाहे वह किराये की पिछला बकाया राशि या अन्य राशियाँ हों, लघु उद्योग बैंक द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम में से बकाया हो, अथवा किए गए अधिक भुगतान या लघु उद्योग बैंक के प्रति देनदारी, क्षति या किए गए व्यय की राशि हो, तो वह कर्मचारी को या कर्मचारी के मामले में मंजूर उपदान की राशि में से काटी जा सकती है;

(4) पूर्वगामी विनियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, इस विनियम के उपबन्ध प्रभावी रहेंगे।

कर्मचारी की मृत्यु होने पर संदाय

8. उपदान की राशि की प्राप्ति से पहले कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में, स्वीकार्य उपदान की राशि निम्नलिखित को अदा की जाएगी ---

(क) ऐसे व्यक्ति को, जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम के विनियम 23 के अनुसार, कर्मचारी द्वारा नामित किया गया है या नामित किया गया समझा जाएगा तथा यदि इस प्रकार के नामित या नामित समझे जाने वाले व्यक्ति एक से अधिक होंगे, तो उपदान की राशि उन व्यक्तियों के बीच उसी अनुपात में वितरित की जाएगी, जिस अनुपात में कर्मचारी ने अपने खाते में जमा भविष्य-निधि की राशि का वितरण निर्धारित किया हो; तथा

(ख) यदि इस प्रकार का कोई नामांकन नहीं किया गया या अस्तित्व में नहीं है, तो उपदान की राशि उन व्यक्तियों को दे दी जाए, जो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, कार्यपालक निदेशक या मुख्य महाप्रबन्धक के मत में मृतक के उत्तराधिकारी होंगे या किसी ऐसे व्यक्ति को मृतक की सम्पदा के प्रशासन का काम उसके हाथ में देने के प्रमाण-स्वरूप प्रोबेट या प्रशासन पत्र अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अन्तर्गत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दे दी जाए।

कर के लिए दायित्व

9. किसी कर्मचारी को मंजूर की गई उपदान राशि पर देय आयकर तथा अधिकर दायित्व, यदि कोई हो, तो उसे लघु उद्योग बैंक वहन करेगा ;

परन्तु उपर्युक्त विनियम 6 (i) (क) के अधीन 20 महीने के वेतन के आधार पर या रु.2,25,000/-, दोनों में से जो भी कम हो, अधिकतम सीमा में संशोधन के कारण, स्वीकार्य उपदान राशि 20 महीने का वेतन एवं महंगाई भत्ता या रु. 3,15,000/-, इनमें से जो भी कम हो, कर दिए जाने से स्वीकार्य उपदान राशि की अंतर-राशि। पर, यदि कोई आय कर और अधिकर देय हो, तो उसे कर्मचारी द्वारा स्वयं इस तरीके से वहन किया जाएगा, जो बैंक द्वारा निर्धारित किया जाए।

निधि की स्थापना

10. लघु उद्योग बैंक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी उपदान निधि नामक एक निधि रहेगी तथा इसमें निम्नलिखित जमाराशि होगी :-

(क) लघु उद्योग विकास बैंक के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को देय उपदान राशि, जिसमें अतिरिक्त उपदानराशि भी सम्मिलित है, के तौर पर दायित्व को पूरा करने के लिए लघु उद्योग बैंक द्वारा इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व विनियोजित सभी धनराशियां;

(ख) वे धनराशियां, जो विकास बैंक से ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (2) के कारण लघु उद्योग बैंक के स्टाफ़-सदस्य बन गये हैं, उपदानों के दायित्व के आनुपातिक हिस्से के कारण जब कभी प्राप्त हों;

(ग) विनियम 13 के अंतर्गत, किसी वर्ष में निधि से अदा की गयी राशि को उसके अगले वर्ष में एक लाख रुपये के निकटतम उच्चतर गुणज में बढ़ाकर जितनी राशि बनती है, वह राशि;

(घ) वह राशि, जो लघु उद्योग बैंक की राय में, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो :-

(i) निधि में जमा शेष राशि;

(ii) लघु उद्योग बैंक के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों की संख्या ;

(iii) अतिरिक्त उपदानों सहित उपदानों की अदायगी के लिए लघु उद्योग बैंक की उपचित देयता ; और

(iv) अन्य कोई संगत प्रतिफल

निधि का नियंत्रण

11. लघु उद्योग बैंक द्वारा निधि धारित की जाएगी तथा, इन विनियमों के उपबंधों के अधीन, लघु उद्योग बैंक से सम्बन्धित सम्पत्ति होगी और इसका नियंत्रण बोर्ड द्वारा या इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अथवा गठित निदेशक समिति द्वारा किया जाएगा।

ब्याज

12. प्रत्येक वर्ष के अन्त में, लघु उद्योग बैंक उस वर्ष के अन्त में निधि की राशि पर ब्याज की गणना कर उसकी राशि उस ब्याज दर से निधि में जोड़ेगा, जिस दर पर अंतिम बार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी भविष्य-निधि या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कर्मचारी भविष्य-निधि, जो लागू हो, ब्याज जमा किया गया था।

निधि से संवितरण

13. निधि की धनराशियों का उपयोग लघु उद्योग बैंक द्वारा विनियमों अथवा फिलहाल प्रभावी किसी विधि के अंतर्गत देय उपदान के कारण अदायगियों के लिए किया जाएगा।

लेखा-विवरण

14. इस निधि के लेखे प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर तैयार किए जायेंगे तथा लेखा-सम्बन्धी लेखा-परीक्षित विवरण प्रतिवर्ष दिसम्बर के अन्त तक, न कि उसके पश्चात्, बोर्ड या विनियम 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अथवा स्थापित समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे।

पी.बी. निम्बालकर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
[विज्ञापन III/IV/139/2002-असा.]

IndiaCode

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2002

Small Industries Development Bank of India (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 2002

HRDD No. 1995 (2)/STAFF-GEN (2).—Whereas it is necessary to frame regulations governing the payment of gratuity to the employees of the Small Industries Development Bank of India and establishment of Gratuity Fund, the Board hereby makes the following regulations:—

Short title and commencement

1. These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 2002.

Power to Interpret

2. The power to interpret these Regulations vests in the Chairman and Managing Director (which expression shall include a Whote-Time-Director and an Executive Director) and if there is no Whole-Time-Chairman and Managing Director, the said expression shall mean the Whole-Time-Director and includes an Executive Director, who may authorise the issue of such administrative instructions as may be necessary to give effect to these Regulations.

Definitions

3. In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context -

(1) "the Act" means the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989) ;

(2) "date of retirement" means -

(a) in the case of an employee who retires or is retired in accordance with the terms and conditions of his service, the date on which he so retires or is retired ;

(b) in the case of any other employee, the date from which he ceases to be in the Small Industries Bank's service; and the expression "month of retirement" shall be construed accordingly ;

(3) "Fund" means the Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity Fund referred to in Regulation 10 ;

2265GI/02-3

IndiaCode

(4) "Pay" means -

the "pay" admissible to an employee in the grade held as on the date of retirement and includes -

i) Substantive pay
ii) Officiating pay
iii) Special pay
iv) Personal pay
v) Special personal pay and
vi) any other emoluments classified as 'pay' by the Board;.

(5) "Dearness allowance" means the allowance.

(6) "Service in the Small Industries Bank" -

(a) includes the period of an employee's continuous temporary service immediately preceding his confirmation;

(b) includes the period of service of an employee in the Reserve Bank and/ or the Industrial Development Bank of India immediately before the appointed day or, as the case may be, before his posting on appointment, selection, promotion or transfer to the Small Industries Bank in terms of sub-section(2) of Section 33 of the Act;

(c) includes the period during which an employee is on duty or on leave duly authorised by a competent authority ;

(d) does not include any period during which an employee is absent from duty without permission or overstays his leave, unless specifically permitted by a competent authority ;

(7) "substantive pay" means the pay to which an employee is entitled in the scale of pay applicable to the post held by him substantively;

(8) "year" means the year ending on the 31st March;

(9) Words and expressions used but not defined in these Regulations and used in the Act have the meanings respectively assigned to them for the purposes of the Act.

Conditions of grant

4. Subject to the terms, conditions and other provisions contained in the succeeding Regulations, gratuity will be granted to a permanent employee after termination of his service in the Small Industries Bank, or in the event of his death before receipt of gratuity, to such person or persons as may be determined in accordance with Regulation 8;

Provided that nothing in these Regulations shall be construed as conferring any right or benefit on any employee whose service in the Small Industries Bank is governed by a contract expressly stipulating his service to be for a specified period.

When not admissible

5 (1) No gratuity will be granted to or in the case of, an employee if he has not completed service in the Small Industries Bank for a minimum period of ten years ;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), gratuity will be granted to or in the case of, an employee who has not completed service in the Small Industries Bank for a minimum period of ten years if -

i) he dies while in service of the Small Industries Bank; or

ii) he has retired or has been required to retire, either on account of certified permanent incapacity due to bodily or mental infirmity or owing to the abolition of his appointment on account of reduction of establishment; or

iii) his service in the Small Industries bank is terminated by the Small Industries Bank for reasons other than reduction of establishment.

Amount admissible

6. (1) Without prejudice to the provisions of Regulation 5, the amount of gratuity admissible to an employee shall be -.

(a) a sum equal to one month's pay plus dearness allowance, for each completed year of service in the Small Industries Bank [or part thereof in excess of 6 months] subject to a maximum of twenty months' pay plus dearness allowance or Rs.3,15,000/- whichever is less for first twenty four years of service ;

(b) an additional sum equal to half month's pay plus dearness allowance, for each completed year of service in the Small Industries Bank (or part thereof in excess of 6 months for service) in excess of twenty four years ;

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation 6(1), in the case of an employee irrespective of the wages drawn by him, the amount of gratuity admissible shall be determined at the rate of 15 days' wages for each completed year of service in the Small Industries Bank or part thereof in excess of 6 months subject to a maximum of Rs.3,50,000 and also subject to other conditions as per the Payment of Gratuity Act, 1972, if payment under this sub-regulation is more beneficial to the employees.

Explanation

For the purpose of this sub-regulation, "wages' means pay plus dearness allowance only

Payment of reduced amount in certain cases

7(1) The Small Industries Bank may, while determining the amount of gratuity payable to an employee, take into account any financial loss caused to the Small Industries Bank by reason of the inefficiency or misconduct of such employee, and grant a reduced amount of gratuity ;

Provided that the difference between the amount of gratuity ordinarily admissible under the foregoing Regulations and the amount of gratuity so reduced shall not exceed the amount of the financial loss caused to the Small Industries Bank;

(2) Unless otherwise specifically permitted by the sanctioning authority, where residential accommodation has been allotted or provided by the Small Industries Bank or Industrial Development Bank of India to an employee, no gratuity will be, or become, payable to the employee or to any person claiming through or under him, unless such employee or, as the case may be, the person claiming through or under him, delivers or arranges to deliver to the Small Industries Bank or the Industrial Development Bank of India, vacant possession of the residential accommodation after fully satisfying the terms and conditions on which such accommodation has been so allotted or provided ;

(3) Any amount due or recoverable from or in the case of an employee, whether on account of arrears of rent or other amounts payable to the Small Industries Bank in respect of residential accommodation allotted or provided by it, or by way of outstandings towards any loan or advance granted by the Small Industries Bank or by reason of any overpayments made by, or of any liability, loss or expense caused to the Small Industries Bank, may be deducted from the amount of gratuity sanctioned to or in the case of, the employee ;

(4) The provisions of this Regulation shall have effect notwithstanding anything contained in the foregoing Regulations.

IndiaCode

2265GI/02—4

Payment in case of death of the employee

8. In the event of the death of an employee before receipt of gratuity the amount of gratuity admissible shall be paid :

(a) to the person who may have been nominated or deemed to have been nominated by the employee in terms of Regulation 23 of the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, and if there are more persons than one so nominated or deemed to have been nominated, the amount of gratuity shall be distributed among such persons in the same proportion in which the employee has distributed the amount standing to his credit in the Provident Fund ; and

(b) if no such nomination has been made or is subsisting, the amount of gratuity may be paid to such persons who, in the opinion of the Chairman and Managing Director, Whole-Time-Director, Executive Director or the Chief General Manager, are the heirs of the deceased or to any person on production of a probate or letters of administration evidencing the grant to him of administration of the estate of the deceased or a succession certificate granted under the Indian Succession Act, 1925.

Liability for Tax

9. Income Tax and Super tax, if any, payable on the account of gratuity granted to an employee will be borne by the Bank;

Provided that the Income tax and super tax, if any, payable on the difference in the amount of gratuity admissible on account of revision of ceiling under regulation 6(i) (a) above from the basis of 20 months' pay or Rs.2,25,000/- whichever is less to 20 months' pay plus dearness allowance or Rs.3,15,000/- whichever is less, shall be borne by the employee himself in such manner as may be decided by the Bank.

IndiaCode

Constitution of Fund

10. The Small Industries Bank shall have a fund to be called the Small Industries Development Bank of India Employees' Gratuity Fund, and there shall be credited thereto-

(a) All moneys appropriated by the Small Industries Bank before the date of commencement of these Regulations, for meeting the liability on account of gratuities, including additional gratuities, payable to officers and other employees of the Small Industries Bank ;

(b) the amounts as and when received from the Development Bank on account of its proportionate share of liability for gratuities in respect of such employees who have become members of the staff of Small Industries Bank by reason of sub-section (2) of Section 33 of the Act ;

(c) an amount equal to the amount paid for the Fund in any year under Regulation 13 increased to the nearest higher multiple of Rupees One Lakh in the succeeding year;

(d) such amount as, in the opinion of the Small Industries Bank, may be necessary having regard to-

i) the balance of the amount standing to the credit of the Fund;

ii) the number of officers and other employees of the Small Industries Bank;

iii) the accrued liability of the Small Industries Bank for payment of gratuities, including additional gratuities; and

iv) any other relevant consideration.

Administration of the Fund

11. The fund shall be held by the Small Industries Bank and, subject to the provisions of these Regulations, shall belong to the Small Industries Bank and be administered by the Board or a Committee of the Directors authorised or set up by the Board for the purpose.

IndiaCode

Interest

12. The Small Industries Bank shall credit to the Fund at the end of every year an amount calculated on the balance in the fund at the end of that year, at the rate at which interest was last credited to the Industrial Development Bank of India Employees' Provident Fund or the Small Industries Development Bank of India Employees' Provident Fund, as may be applicable.

Disbursements from the Fund

13. The moneys in the Fund shall be utilised for making payments on account of gratuities payable by the Small Industries Bank under these Regulations or any law for the time being in force.

Statement of Accounts

14. The accounts of the Fund shall be made up as at the end of each year and an audited statement of the accounts shall be submitted to the Board or the Committee authorised or set up under Regulation 11, not later than the end of December every year.

IndiaCode

P. B. NIMBALKAR, Chairman and Managing Director
[ADVT. III/IV/139/2002-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.